DIVAYO-RA2OLAQ/11/2025-RA2-DIVAYO 1/521426/2025

कार्यालय आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

संख्याः आर0ए0द्वितीय/आठ-1(2023-24) 660 दिनांकः 15,अक्टूबर, 2025

आदेश

संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-445(1) / एक-1-2023-रा0-1 दिनॉक 18.08.2023 के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 की उपधारा-2 के परन्तुक एवं शासनादेश संख्या-18/2023/734/एक-1-2023-1-1099/ 34/2023 दिनॉकः 03.08.2023 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ग्राम केवाड़ी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी स्थित ग्रामसभा की सार्वजनिक भूमि गाटा संख्या-542/0.045हे0 में से 0.019हे0, 546/0.068हे0 में से 0.051हे0, 564/0.066हे0 चकमार्ग, गाटा संख्या-540/0.010हे0, 547/ 0.026हे0 में से 0.013हे0, 556/0.023हे0 व 563/0.034हे0 नाली कुल 07 किता रकबा 0.272हे0 में से 0.216हे0 तथा ग्राम पंचायत केवाड़ी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर चौकी की ग्राम समाज भूमि गाटा संख्या- 132/0.035 हे0 में से 0.003हे0, गाटा संख्या-56/0.037हे0 में से 0.002हे0 ग्राम समाज कुल 09 किता रकबा 0.344हे0 में से 0.221हे0 ग्राम समाज की भूमि का विनिमय ग्राम केवाड़ी स्थित संस्था की निजी भूमि गाटा संख्या-541मि०/रकबा 0.804 हे0 हिस्सा 0.506हे0 में से 0.232हे0, जो दी जाने वाली भूमि से अधिक है, का विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की परिसीमा में आ जाने के दृष्टिगत मेसर्स शालीमार कार्प लि0, आवासीय टाउनशिप शालीमार मन्नत विस्तार-3, लखनऊ हेतु किया जा रहा है।

(2) संस्था से ग्राम सभा के आरक्षित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा-शीर्षक में जमा कराया जायेगा। संस्था द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा ग्राम केवाड़ी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी स्थित विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा को प्राप्त संस्था की निजी भूमि का श्रेणी परिवर्तन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त गांवसभा के अन्य श्रेणी के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(4) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख(खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(5) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना इस कार्यालय को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Digitally signed by
RAJESH KUMAR
Date: 15-10-2025
20:24:00

(राजेश कुमार)
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

संख्या एवं दिनॉक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4- मे0 शालीमार कार्प लि0 अधिकृत हस्ताक्षरी शिव जनम चौधरी पुत्र स्व0 सी0डी0 चौधरी 81 बाल बिहार पिकनिक स्पाट रोड फरीदी नगर सिमैप, जिला लखनऊ

(राजेश कुमार)
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।